

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मई 2023—ज्येष्ठ 4, शक 1945

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-1-1-1-02-2023-1-पचपन.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उपरोक्त नियमों में, नियम 6 में,—

(1) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(2) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष तक, पदोन्नति के पद सीधी भर्ती की प्रक्रिया को अपनाते हुए भरे जा सकेंगे, परन्तु जब नियमों से संलग्न अनुसूची एक “अ”, एक “ब”, एक “स”, एक “द” तथा एक “ई” में कोई परिवर्तन होगा, तो पदोन्नति के पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।”।

(2) उप-नियम (3) का लोप किया जाए।

No. F-1-1-02-2023-1-LV.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 6,-

(1) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-

“(2) The promotional posts may be filled by adopting the process of direct recruitment upto 5 years from the date of publication of these rules in the Official gazette, but when there shall be a change in the Schedule I “A”, I “B”, I “C”, I “D” and I “E” annexed to the rules, then the direct recruitment shall not be done on the promotional posts.”.

(2) sub-rule (3) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., सचिव.